

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,  
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों के समय के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक 72979-73199 दिनांक 03.09.2022, पत्रांक 7859-7891 दिनांक  
04.04.2023 एवं पत्रांक 4059-4109 दिनांक 02.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रानुसार लेख है कि राज्य में प्रचंड गर्मी (तापमान) को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कार्यों का समय प्रातः 05:30 बजे से दोपहर 12:30 तक (विश्रामकाल रहित) किया जाता है।

यह व्यवस्था दिनांक 30.06.2024 तक प्रभावी रहेगी, इसके उपरांत कार्यों का समय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, समस्त राजस्थान द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम के प्रावधान के तहत अपने स्तर से निर्धारित कर सकेंगे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(सुरेश कुमार ओला)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक:-28/05/2024

क्रमांक: एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2024-25/6867-7116

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार सोनी)  
परियोजना निदेशक (IRGY)

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/ दिशानिर्देश/2024-25/4059-4109

दिनांक : 02/05/2024

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक  
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY),  
समस्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत श्रमिकों के कार्य समय में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-1. IRGY योजना प्रकोष्ठ का पत्रांक एफ.56(क)0पीए/सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/72979-73199 दिनांक 03.09.2022

2. IRGY योजना प्रकोष्ठ का पत्रांक एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/7859-7891 दिनांक 04.04.2023

संदर्भ:-राजस्थान पत्रिका में दिनांक 30.04.2024 को प्रकाशित समाचार शीर्षक "राज्य की रोजगार गारंटी योजना: ग्रामीण का समय बदला, शहर में बदलाव का इंतजार"।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान वृद्धि के दृष्टिगत संलग्न प्रासंगिक पत्रों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में नियोजित श्रमिकों हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार कार्य का समय परिवर्तन किये जाने का श्रम करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/ दिशानिर्देश/2024-25/4110-4446

दिनांक : 02/05/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
5. समस्त आयुक्त, नगर निगम/परिषद्, जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकतानुसार निकायों के श्रमिकों के कार्य समय परिवर्तन हेतु प्रस्ताव विभागीय पूर्व पत्रांक 7859-7891 दिनांक 04.04.2023 द्वारा समय परिवर्तन बाबत अधिकृत जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY) को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिकाधी अभियन्ता नगर निगम/परिषद्, राजस्थान।
8. स्टेट एम.आई.एम. मैनेजर (IRGY) को भेजकर लेख है कि आदेश को IRGY पोर्टल पर अपलोड की जाने बाबत।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार सोनी)

परियोजना निदेशक (IRGY)

RajKaj Ref  
6925244

Document certified by SURESH KUMAR  
OLA <sureshola5788@gmail.com>

Digitally Signed by Suresh  
Kumar Ola  
Designation : Director  
Date :02-05-2024 05:43:58



राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/7859-7891 दिनांक: 04.04.2023

जिला कलक्टर,  
एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY)  
समस्त राजस्थान।


विषय:- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्य स्थल पर सुविधाओं एवं श्रमिकों के कार्य समय में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-विभागीय समसख्यंक पत्रांक 72979-73199 दिनांक 03.09.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के बुलट पोइन्ट 10 के क्रम में श्रमिकों की कार्य अवधि सामान्यतः प्रातः 8:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक (अपरान्ह दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक भोजन अवकाश) निर्धारित की गई है। राज्य में गर्मी के मौसम को मध्य नजर श्रमिकों के कार्य का समय प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (विश्राम काल रहित) निर्धारित किया जाता है, फिर भी जैसा कि पूर्व में निर्देश दिये गये हैं, स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक अपने स्तर से आवश्यकतानुसार कार्यसमय संशोधित कर सकेंगे।


इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा हेतु निम्न व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित की जावे:-

- कार्यस्थल पर श्रमिकों को स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था (मटकीयों में) उपलब्ध की जावे।
- कार्यस्थल पर श्रमिकों हेतु छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार हेतु मेडिकल किट बॉक्स (इलेक्ट्राल/ग्लूकोज एवं अन्य दवाईयां) की पर्याप्त व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जावे।

  
(डॉ. जोगाराम)  
शासन सचिव

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/7892-8142 दिनांक: 04.04.2023  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, समस्त संभागीय आयुक्त, जयपुर, राजस्थान।
4. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
5. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम/परिषद, राजस्थान।
7. स्टेट एम.आई.एम. मैनेजर (IRGY) को भेजकर लेख है कि आदेश को IRGY पोर्टल पर अपलोड की जाने बाबत।
8. सुरक्षित पत्रावली।

  
(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पारा, जयपुर  
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ.56( )पीए/सीई/डीएलसी/IRGY(U)/2022-23/72979-13199

दिनांक: 03.09.2022

आयुक्त/अधिसापी अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद/पालिका,  
समस्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना वायत् संपादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 02.09.2022 को राज्य सरकार के स्तर पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की विस्तृत समीक्षा के दौरान पाया गया कि चयनित किये गये कार्यों में साफ-सफाई, नालियों की सफाई, सड़क किनारे वृक्षारोपण इत्यादि कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार ठोस (Tangible) प्रकृति से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी है, जिन्हें योजना की उपलब्धियों के रूप में Showcase किया जा सके।

चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संपूर्ण राज्य में दिनांक 09.09.2022 को इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अतः योजना में निम्न ठोस (Tangible) प्रकृति के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने वायत् निर्देश दिये जाते हैं:-

1. तालाब, बावडी, जोहड, टांके आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार (Improvement) सम्बन्धी कार्य।
  2. निकाय क्षेत्र में पार्कों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण।
  3. शमशानों/कब्रिस्तानों में मूलभूत सुविधाओं सहित विकास कार्य।
  4. निकाय क्षेत्र के सामुदायिक शौचालयों एवं मूत्रालयों की मरम्मत एवं साफ-सफाई का कार्य।
  5. निकाय क्षेत्र की मुख्य सड़कों के डिवाइडर की मरम्मत, पेंट कराया जाना एवं फुटपाथ की मरम्मत का कार्य।
  6. पार्कों, डिवाइडरों पर वृक्षारोपण, उद्यानिकी के कार्य।
  7. अवैध होर्डिंग/वैनर हटाने के कार्य।
- चूंकि वर्तमान कार्य योजना कुछ समय पूर्व तैयार की गई थी एवं मानसून लगभग समाप्ति की ओर है। अतः संभव है कि इस कार्य योजना में कुछ ऐसे कार्य हो जिनकी वर्तमान में आवश्यकता नहीं हो, उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निरस्त की जाकर, नवीन कार्य जो ठोस (Tangible) प्रकृति के हो उन्हें कार्य योजना में शामिल करते हुए नये सिर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे।
  - अभी तक स्वीकृत कार्य जिनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी उन कार्यों का पुनः विश्लेषण करें एवं यदि आवश्यक हो तो कार्यों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा में संशोधित करते हुए नये सिर से तकनीकी स्वीकृति जारी की जावे।
  - विभाग द्वारा सभी निकायों को अनुमत कार्यों से संबंधित तकनीकी नमूने प्रेषित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य ठोस (Tangible) प्रकृति का कार्य करवाया जाना हो तो उसका तकनीकी पृथक् से तैयार कर श्रम एवं सामग्री की गणना करते हुए, तकनीकी स्वीकृति जारी किये जा सकेंगी।
  - योजनान्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम एवं सामग्री का अनुपात 75:25 में संधारित किया जाना है, परंतु विशेष परिस्थिति के कार्यों हेतु श्रम एवं सामग्री का अनुपात 25:75 तक रखे जाने का प्रावधान किया गया है। अतः ठोस (Tangible) प्रकृति के कार्यों का समावेश करते हुए कार्य योजना में किये गये कुल वास्तविक व्यय में यथासंभव श्रम एवं सामग्री का अनुपात लगभग 75:25 रखा जावे।



- पूर्व में सभी निकायों को निर्देश दिये गये थे कि ठोस (Tangible) प्रकृति के कार्यों के संपादन हेतु आवश्यक सामग्री यथा सीमेंट, वजरी, पेंट, रोड़ी, इंटरलॉकिंग टाईल इत्यादि वायत् दर संविदा (Rate Contract) कर लिया जाये ताकि आवश्यकतानुसार सामग्री कय की जा सके। यदि किन्हीं निकायों में संविदा (Rate Contract) की प्रकिया नहीं अपनाई गई है तो योजना के शुभारंभ के मद्देनजर नियमानुसार कोटेशन के जरिये आवश्यकतानुसार सामग्री कय किये जाने की व्यवस्था करें।
  - मनरेगा की तर्ज पर श्रमिक उपकरण यथा फावड़ा, परात, गेती, केंची इत्यादि श्रमिक द्वारा स्वयं ही लाये जाने का प्रावधान है, परंतु योजना के शुभारंभ के दिन यदि आवश्यक हो तो श्रमिकों को उपकरण निकाय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
  - मेट के नियोजन के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 09.09.2022 से पूर्व मेट की सूची बनाई जाकर शुभारंभ हेतु कार्यवार मेट का चयन सुनिश्चित किया जाये।
  - निकायों के मुख्य प्रवेश मार्गों पर सड़क के दोनों ओर तथा विभागीय स्तर पर कराये जाने वाले इंटरलॉकिंग टाईल के कार्यों में सामग्री मद निकाय द्वारा वहन करते हुए श्रम मद irgy-U योजनान्तर्गत वहन किया जा सकता है।
  - दिनांक 09.09.2022 को शुभारंभ किये जाने वाले कार्य से संबंधित सभी जानकारी कार्य स्थल पर पलैक्स, वैनर अथवा सूचना पट्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।
  - योजना में श्रमिकों की कार्य अवधि प्रातः 08:00 वजे से सायं 05:00 तक (अपरान्ह 01:00 वजे से 02:00 तक भोजन अवकाश) निर्धारित की गई है। परंतु कार्य की प्रकृति के मद्देनजर यदि आवश्यक हो तो कार्य समय परिवर्तित किया जा सकेगा, लेकिन कार्यावधि 08:00 घंटे सुनिश्चित की जावे। इस वायत् संबंधित निकाय द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
  - चूंकि योजनान्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों का वित्तीय एवं सामाजिक अंकक्षण भी होगा। प्रत्येक कार्य की कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, कार्य संपादन के दौरान एवं कार्य समाप्ति पश्चात् के फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें। पोर्टल में इसका प्रावधान है।
  - प्रचार-प्रसार से संबंधित समस्त गतिविधियां स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in/lsg> एवं IRGY Urban ULBs ग्रुप पर डलवाया जाना सुनिश्चित करें।
  - पोर्टल से संबंधित किसी भी समस्या के निराकरण हेतु श्रीमती, श्वेता सक्सेना, संयुक्त निदेशक-8107109511, श्री अशोक मीणा, एसीपी-8870087087 एवं श्री ललित मोहन तिवारी, एपी-7976738940 से संपर्क किया जा सकता है।
- अतः उपरोक्तानुसार समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।



(हृदेश कुमार शर्मा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 03.09.2022

क्रमांक: एफ.56 (क)0सीई/डीएलवी/IRGY(U)/2022-23/1320-41

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर (जिला परियोजना समन्वयक), राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि दिनांक 09.09.2022 को योजना के प्रस्तावित शुभारंभ के परिप्रेक्ष्य में समस्त व्यवस्थाएं एवं उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
3. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि दिनांक 09.09.2022 को योजना के प्रस्तावित शुभारंभ के परिप्रेक्ष्य में समस्त व्यवस्थाएं एवं उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
4. सुरक्षित पत्रायली।



मुख्य अभियंता